मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक. एफ–6–6/2012/सात–3, भोपाल, दिनॉक 5/12/2016

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

विषय:– राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक–4 के मानदण्डों में संशोधन ।

–:00:–

राज्य शासन एतद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक–4 में दी जाने वाली आर्थिक अनुदान सहायता राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1/– अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता के संबंध में वर्तमान में ऐसे छोटे दुकानदारों को जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं और दुकानों का बीमा नहीं हो तथा दुकानदार के पास दुकान नष्ट हो जाने पर जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय "रूपये 35,000" (रूपये पैंतीस हजार केवल) के स्थान पर "रूपये 1,00,000" (रूपये एक लाख केवल) तक वृद्धि की जाती है एवं प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना से दुकान नष्ट होने पर "रूपये 6,000" (रूपये छः हजार केवल) के स्थान पर प्रति दुकानदार "रूपये 12,000" (रूपये बारह हजार केवल) तक की वृद्धि की जाती है ।

2/– सर्प/गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को "रूपये 50,000" (रूपये पचास हजार केवल) के स्थान पर "रूपये 4,00,000" (रूपये चार लाख केवल) तक वृद्धि की जाती है ।

3/– पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना होने से मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को "रूपये 1,00,000" (रूपये एक लाख केवल) के स्थान पर "रूपये 4,00,000" (रूपये चार लाख केवल) तक वृद्धि की जाती है ।

4/– प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुंए या नलकूप यदि टूट–फूट या धंस जाने पर उसके मालिक को हानि के आंकलन के आधार पर "रूपये 6,000" (रूपये छः हजार केवल) के स्थान पर "रूपये 25,000" (रूपये पच्चीस हजार केवल) तक वृद्धि की जाती है ।

5/– आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर "रूपये 4,000" (रूपये चार हजार केवल) के स्थान पर "रूपये 10,000" (रूपये दस हजार केवल) तक वृद्धि की जाती है ।

उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक–4 का भाग होगा ।

6/– मंत्रि–परिषद के आयटम कमांक–11 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 में यह निर्णय लिया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0कमांक. एफ–6–6/2012/सात–3, भोपाल, दिनॉक 5/12/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग ।
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
9. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ) भोपाल ।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग